SR COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES

(An ISO 9001 : 2000 Certified Institute)
16 Km. Ambabai, Gwalior Road, JHANSI - U.P.
Managed by (Pt. Deendayal Upadhayay Shikshan Trust)
Affiliated to Bundelkhand University, Jhansi

Tel. No. 0510-2331199, 6452650, 3730146, 6532847 Fax :- 0510-2730195

SRCPS/2021-22/018

Date: 25 May 2021

NOTICE FOR ADMISSION

Admission notice for **SC/ST/OBC/Gen** notice is hear by given to all enclosed that the college strictly follow the government rules on reservation while admitted students to new BCA,BBA & B.Sc. (Hons.) Agriculture course year-1 session 2021-22.

Detail is mentioned below against the seats:

Sr. No	Name of Course	Total Seats	For Gen	For OBC	For SC	For ST
1	BCA	60	30	16	12	2
2	BBA	60	30	16	12	2
3	B.SC AGRICULTURE	120	60	32	24	4

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590

863

Sh Sabir Ali ji

दिनांक–28.09.2020

<u>कुलसचिव जी</u>

कृपया एस0आर0 कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज के पत्र दिनांक 21.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें उक्त कालेज में नैक का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 03 पर अद्योहस्ताक्षरी से सूचना मांगी गई है। जो निम्नवत् है।

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–02 के पत्र संख्या – 1191/सत्तर–2–2010–3(58)/79 दिनांक 11 जून, 2010 की अधिसूचना के अनुसार किये जाते है। आरक्षण का प्रतिशत निम्न है।

1. सामान्य – 50 प्रतिशत
2. अन्य पिछड़ा वर्ग – 27 प्रतिशत
3. अनुसूचित जाति – 21 प्रतिशत
4. अनुसूचित जनजाति – 02 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण भी लागू है। जो संलग्न पत्र के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रो0 प्रतीक अग्रवाल)
समन्वयक,प्रवेश सेल

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590

133 Mayashankar (Affl.)
29/6/2010 22/6/10

डा0 पुष्पा
A.R (Acad)

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79

लखनऊ:दिनांक: 11 जून, 2010

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2006) की धारा-4 के अधीन भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षिक वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में, आरक्षण की व्यवस्था है:-

(क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत

रिट पिटीशन संख्या-2160(एम0/बी0)/2009 उत्पल एजूकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शिक्षण संस्थानों में लागू किए जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगनादेश को समाप्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2006) की धारा-12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक

4903 / 17/06/10

PRINCIPAL
S.B.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590

पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं -

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
(ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
(ग) शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
(घ) महिलाओं के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रवेश सीट पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा, उदाहरण के लिए यदि महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति की है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी। प्रवेश सीटों पर चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकें तो वह सीटें उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

3- यदि उक्त प्रस्तर-1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।

4- यदि प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।

..3/-

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRC
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE C...

5- यदि प्रस्तर-1 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तर-3 या 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

6- यदि उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे उक्त प्रस्तर-1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

7- उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व किसी शैक्षणिक वर्ष में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय का होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था हेतु उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अनिल सन्त

सचिव।

संख्या-1191(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।
(2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(5) सचिव, बार काउंसिल आफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
(6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0-2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक : बु0वि0/सम्ब0/2010/693 - 792 दिनांक:- 05-7-2010

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित/अशासकीय/शासकीय महाविद्यालय।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग।
3. कुलपति जी के निजी सचिव।
4. कुलसचिव के आशुलिपिक।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

भवदीय

05-7-10

(उदयवीर सिंह यादव)

(कुलसचिव)

24 @ 3'

Gen OSC SC
6 G

11

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक : बु०वि०/रा०ब०/2020/896 दिनांक : 14/07/2020

TO WHOME IT MAY CONCERN

This is to certify that S.R. College Of Professional Studies, Jhansi, U.P. is affiliated to the BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI(U.P.) and recognized by the University Grant Commission and the following courses/subject are taught in the said college as per approval.

S.NO.	Name Of Course(S) and duration	Affiliation Permanent/ Temporary	Period of validity for year(S)	No. of seats
1	Three year B.C.A.	Permanent	from 01.07.2015 onwards	60
2	Three year B.B.A.	Permanent	from 01.07.2015 onwards	60
3	Four year B.Sc. Agriculture	Permanent	from 01.07.2016 onwards	120

REGISTRAR
Bundelkhand University
JHANSI

PRINCIPAL
S.R.C.P.S., SRGI
AMBABAI (JHANSI)
COLLEGE CODE-590